

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बलजीत कौर आदि बनाम सतपाल सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए नम्बर 71 सन 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/104

तामिल
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

09.05.2022

वादीगण बलजीत कौर पत्नि सतविन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति रामगढिया निवासी श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.06.2022 को पेश हो।

8/6/22

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान महोदय अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 20/6/22 को पेश हो। Kamari

20/6/22

वादीगण व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं; वादीगण व वादी अधिवक्ता को रुक-रुक कर 3 बार आवाज लगावाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 RTA इसी स्तर पर अदम्य पेश की अदम्य हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय हाकर नम्बर से कम हाकर तामिल हाकर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर